धन-कर

खंड 60 – विधेयक का खंड 60 धन-कर अधिनियम की धारा 35जक का संशोधन करने के लिए है, जो कंपनियों द्वारा अपराध से संबंधित है ।

उक्त धारा के विद्यमान उपबंधों के अधीन, जहां कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है, वहां कंपनी के साथ ही वह व्यक्ति भी, जो उस अपराध के किए जाने के समय कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था, ऐसे अपराध के दोषी समझा जाएगा जब तक कि वह यह साबित नहीं कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी । इसके अतिरिक्त, यदि कंपनी की दशा में यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा ।

उक्त धारा में एक नई उपधारा (3) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि यदि अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी व्यक्ति द्वारा, जो कंपनी है, किया गया है और ऐसा अपराध कारावास और जुर्माने से दंडनीय है तो ऐसी कंपनी केवल जुर्माने से दंडित की जाएगी, किन्तु ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उसका भारसाधक या उत्तरदायी था या ऐसी कंपनी का कोई निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी, जिसकी सहमति या मौनानुकूलता या उपेक्षा के कारण ऐसा अपराध हुआ था, अधिनियम के उपबंधों के अनुसार जुर्माने और कारावास के लिए भागी होगा ।

यह संशोधन 1 अक्तूबर, 2004 से प्रभावी होगा ।

सीमाशुल्क

खंड 61 – विधेयक का खंड 61 सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 41 का संशोधन करने के लिए है, जिससे कि पोत परिवहन कंपनियों, हवाई कंपनियों, उनके अभिकर्ताओं आदि के लिए जलयान या वायुयान आदि के प्रस्थान के पूर्व निर्यात-आयात साधारण सूची समुचित अधिकारी को परिदत्त करना आज्ञापक बनाया जा सके ।

खंड 62 – विधेयक का खंड 62 सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 129क का संशोधन करने के लिए है, जिससे कि अपील अधिकरण के समक्ष अपील फाइल करने के लिए फीस में वृद्धि की जा सके और मंजूरी, आदि के लिए रोक की कोई आवेदन फाइल करने के लिए फीस विनिर्दिष्ट की जा सके ।

खंड 63 – विधेयक का खंड 63, सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 137 का संशोधन करने के लिए है, जिससे कि मुख्य सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा, नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली प्रशमन रकम के संदाय पर ,सीमाशुल्क अधिनियम के अध्याय 16 के अधीन अपराधों के प्रशमन के लिए उपबंध किया जा सके ।

खंड 64 – विधेयक का खंड 64 सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 156 का संशोधन करने के लिए है, जो केन्द्रीय सरकार को, अपराधों के प्रशमन के लिए संदत्त की जाने वाली फीस, रकम विनिर्दिष्ट करने के लिए नियम बनाने के लिए सशक्त करती है ।

खंड 65 – विधेयक का खंड 65 उपक्रमों के भूतलक्षी रूप से विधिमान्यकरण के लिए उपबंध करता है ।

खंड 66 – विधेयक का खंड 66 सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क का संशोधन करने के लिए है, जिससे कि उस धारा के अधीन प्रतिपाटन शुल्क सीमाशुल्क अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के कतिपय उपबंधों को उस धारा के अधीन प्रतिपाटन शुल्क के संबंध में और लागू किया जा सके ।

खंड 67 – विधेयक का खंड 67 सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9ग का संशोधन करने केलिए है, जिससे कि अपील अधीकरण के समक्ष अपील फाइल किए जाने और रोक की मंजूरी, आदि के लिए अपील में आवेदन के लिए फीस की रकम विनिर्दिष्ट की जा सके ।

खंड 68 – विधेयक का खंड 68 सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची का संशोधन करने के लिए है, जिससे कि टैरिफ मद 1108 1200,1108,1400,1108 1910,1108 1990, 1903 0000, 3505 1010 और 3505 1090 के संबंध में सीमा शुल्क में वृद्धि की जा सके और टैरिफ मद 2922 4220 के स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर "मोनोसोडियम ग्लूटोमेट" प्रविष्टि रखी जा सके ।

खंड 69 – विधेयक का खंड 69 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 9क का संशोधन करने के लिए है, जिससे कि मुख्य उत्पाद-शुल्क आयुक्त द्वारा, नियमों द्वारा विहित प्रशमन रकम के संदाय पर, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम के अध्याय 2 के अधीन अपराधों के प्रशमन के लिए उपबंध किया जा सके ।

खंड 70 – विधेयक का खंड 70 धारा 11 का संशोधन करने के लिए है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि यदि कोई व्यक्ति, जिससे कुछ वसूलियां शोध्य हैं, अपने कारबार का किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित करता है तो अंतरिती के कब्जे में के उत्पाद-शुल्क्य माल, संयंत्र, मशीनरी, आदि की कुर्की की जा सकती है और वसूली के लिए विक्रय की जा सकती है ।

खंड 71 – विधेयक का खंड 71 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम में एक नई धारा 33क अंतःस्थापित करने के लिए है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा सुनवाई का स्थगन तीन से अधिक बार मंजूर नहीं किया जाएगा ।

खंड 72 – विधेयक का खंड 72 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 35 का संशोधन करने के लिए है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि आयुक्त (अपील) द्वारा सुनवाई का स्थगन तीन से अधिक बार मंजूर नहीं किया जाएगा ।

खंड 73 – विधेयक का खंड 73 धारा 35ख का संशोधन करने के लिए है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि अपील अधिकरण के समक्ष अपील फाइल करने के लिए दी जाने वाली फीस में वृद्धि की जा सके और किसी अपील में रोक, की मंजूरी, आदि के लिए आवेदन फाइल करने के लिए फीस विनिर्दिष्ट की जा सके।

खंड 74 – विधेयक का खंड 74 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 35ग का संशोधन करने के लिए है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि अपील अधिकरण द्वारा किसी पक्षकार को सुनवाई का स्थगन तीन से अधिक बार मंजूर नहीं किया जाएगा ।

खंड 75 – विधेयक का खंड 75 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 37 का संशोधन करने के लिए है, जिससे केन्द्रीय सरकार को अपराधों के प्रशमन और वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय 5 के अधीन उद्ग्रहणीय सेवा-कर का प्रत्यय देने के लिए संदत्त की जाने वाली रकम का, जो उत्पाद-शुल्क्य माल के विनिर्माण में या उसके संबंध में प्रयुक्त कराधेय सेवाओं पर संदत्त की जाती हैं या संदेय हैं, उपबंध करने के लिए नियम बनाने के लिए सशक्त किया जा सके ।

खंड 76 – विधेयक का खंड 76 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की तीसरी अनुसूची का संशोधन करने के लिए है, जिससे "मोनोक्रोम" से भिन्न पद का लोप किया जा सके ।

खंड 77 – विधेयक का खंड 77 शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रमों की बाबत सीमाशुल्क अधिकारी द्वारा की गई कतिपय कार्रवाइयों के विधिमान्यकरण के लिए उपबंध करता है।

खंड 78 – भूतलक्षी रूप से, 1 मार्च, 2003 से, केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2002 के नियम 3 के उपनियम (6) के स्पष्टीकरण का संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 के निबंधनों के अनुसार संदत्त अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क के प्रत्यय का उपयोग अंतिम उत्पादों पर किसी उत्पाद-शुल्क के संदाय के लिए केवल तभी किया जा सकेगा जब अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क 1 अप्रैल, 2000 को या उसके पश्चात् संदत्त किया गया हो या संदेय हो ।

खंड 79 – विधेयक का खंड 79 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची का संशोधन करने के लिए है, जिससे (i) उपशीर्ष सं. 5004.11, 5004.90, 5005.10, 5005.20, 5005.90, 9001.10 और 9504.10 पर उत्पाद-शुल्क अधिरोपित किया जा सके; और धारा 15 में एक टिप्पण अंतःस्थापित किया जा सके, और (ii) यह विनिर्दिष्ट किया जा सके कि तार का कर्षण या पुनः कर्षण "विनिर्माण" की कोटि में आता है ।

खंड 80 – सेवा-कर से संबंधित वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय 5 का निम्नलिखित रीति में संशोधन करने के लिए है –

(i) उपखंड (क) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65 का संशोधन करने के लिए है, जिससे कतिपय विद्यमान कराधेय सेवाओं की परिधि को उपांतरित किया जा सके और दी गई निम्नलिखित नई सेवाओं पर सेवा-कर अधिरोपित किया जा सके :–

(1) किसी व्यक्ति को, किसी विमानपत्तन या किसी सिविल एन्कलेव में, विमानपत्तन प्राधिकरण या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा प्रदान की गई सेवा ;

(2) किसी व्यक्ति को, वायुयान द्वारा माल के अभिवहन के संबंध में, किसी वायुयान प्रचालक द्वारा प्रदान की गई सेवाएं ;

(3) किसी प्रदर्शक को, कारबार प्रदर्शनी के संबंध में, कारबार प्रदर्शनी के आयोजक द्वारा प्रदान की गई सेवाएं ;

(4) किसी ग्राहक को, किसी मालवाहक गाड़ी में सड़क द्वारा माल के अभिवहन के संबंध में, माल परिवहन अभिकरण द्वारा प्रदान की गई सेवाएं ;

(5) किसी व्यक्ति को, सन्निर्माण सेवा के संबंध में, किसी वाणिज्यिक समुत्थान द्वारा प्रदान की गई सेवाएं ;

(6) किसी व्यक्ति को, बौद्धिक संपदा सेवा के संबंध में, बौद्धिक संपदा अधिकारों के धारक द्वारा ;

(7) किसी व्यक्ति को, मत सर्वेक्षण के संबंध में, मत सर्वेक्षण अभिकरण द्वारा प्रदान की गई सेवाएं ;

(8) किसी ग्राहक को, किसी बाह्य खान-पान प्रबंधक द्वारा प्रदान की गई सेवाएं ;

(9) किसी व्यक्ति को, कार्यक्रमों के निर्माण के संबंध में, किसी निर्माता द्वारा प्रदान की गई सेवाएं ;

(10) किसी ग्राहक को, खनिज के सर्वेक्षण और खोज के संबंध में किसी व्यक्ति द्वारा प्रदान की गई सेवाएं ;

(11) किसी ग्राहक को, किसी पंडाल या शामियाना के संबंध में, किसी रीति में किसी पंडाल या शामियाना ठेकेदार द्वारा प्रदान की गई सेवाएं और इसके अंतर्गत किसी खान-पान प्रबंधक द्वारा दी गई सेवाएं, यदि कोई हों, भी हैं ;

(12) किसी ग्राहक को यात्रा मार्ग की बुकिंग के संबंध में, किसी यात्रा अभिकर्ता द्वारा प्रदान की गई सेवाएं ;

(13) किसी व्यक्ति को, किसी अग्रिम संविदा के संबंध में, किसी मान्यताप्राप्त संगम या किसी रजिस्ट्रीकृत संगम के किसी सदस्य द्वारा प्रदान की गई सेवाएं ;

(ii) उपखंड (ख) धारा 66 को प्रतिस्थापित करने के लिए है, जिससे धारा 65 के खंड (105) में सम्मिलित नई कराधेय सेवाओं पर कर अधिरोपित किया जा सके और सभी कराधेय सेवाओं के लिए सेवा-कर की दर भी आठ प्रतिशत से बढ़ाकर दस प्रतिशत की जा सके ;

(iii) उपखंड (ग) धारा 67 का संशोधन करने के लिए है, जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि उधारों पर ब्याज, सेवा-कर के संदाय के लिए मूल्य में सम्मिलित किए जाने योग्य नहीं होगा ;

(iv) उपखंड (घ) धारा 71 और धारा 72 का लोप करने के लिए है, जो क्रमशः निर्धारण के सत्यापन और सर्वोत्तम विवेकबुद्धि के अनुसार निर्धारण के लिए उपबंध करती हैं ;

(v) उपखंड (ङ) धारा 73 को प्रतिस्थापित करने के लिए है, जो सेवा-कर की वसूली से संबंधित है और इसे केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम के अधीन वसूली के उपबंधों के अनूरूप बनाने के लिए है ;

(vi) उपखंड (च) धारा 74 का संशोधन करने के लिए है, जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक आयुक्त/उप केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त द्वारा पारित किए गए आदेशों के परिशोधन से संबंधित है, जिससे कि इसे धारा 73 में किए गए संशोधनों के अनुरूप बनाया जा सके ;

(vii) उपखंड (छ) धारा 75 का संशोधन करने के लिए है, जो कर के विलंबित संदाय पर ब्याज के संदाय से संबंधित है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि प्रभार्य ब्याज की दर, केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा नियत की जा सकेगी, जो कम से कम दस प्रतिशत और अधिक से अधिक छत्तीस प्रतिशत हो सकेगी ;

(viii) उपखंड (ज) गैर-रजिस्ट्रीकरण के लिए शास्ति की अनिवार्यता को समाप्त करने के लिए धारा 75क का लोप करने के लिए है ;

(ix) उपखंड (झ) धारा 76 का संशोधन करने के लिए है, जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि सेवा-कर के असंदाय के लिए न्यूनतम शास्ति, कर के संदाय में असफलता के प्रत्येक दिन के लिए एक सौ रुपए होगी ;

(x) उपखंड (ञ) धारा 77 को, जिसमें इस समय विवरणी फाइल न किए जाने पर शास्ति के लिए उपबंध है, प्रतिस्थापित करने के लिए है, जिससे अध्याय 5 या उसके अधीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबंधों के अतिलंघनों के लिए, जिनके लिए उक्त अध्याय में कोई अन्य शास्ति पृथक् रूप से उपबंधित नहीं है, अधिकतम एक हजार रुपए की साधारण शास्ति का उपबंध किया जा सके ;

(xi) उपखंड (ट) धारा 78 का संशोधन करने के लिए है, जो सेवा-कर के असंदाय आदि की दशा में शास्ति से संबंधित है जिससे कि इसे धारा 73 में किए गए संशोधनों के अनुरूप बनाया जा सके ;

(xii) उपखंड (ठ) धारा 79 का लोप करने के लिए है ;

(xiii) उपखंड (ड) धारा 80 का संशोधन करने के लिए है, जिससे कि धारा 79 के प्रतिनिर्देश का लोप किया जा सके, जिसका उपखंड (ठ) द्वारा लोप किए जाने की वांछा की गई है ;

(xiv) उपखंड (ढ) धारा 81 का लोप करने के लिए है ;

(xv) उपखंड (ण) धारा 85 का संशोधन करने के लिए है, जिससे धारा 71 और धारा 72 के प्रतिनिर्देश का लोप किया जा सके, क्योंकि उन धाराओं के लोप की वांछा की गई है ;

(xvi) उपखंड (त) धारा 86 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि अपील अधिकरण के समक्ष अपील फाइल करने के लिए फीस में वृद्धि की जा सके और फाइल की जाने वाली अपीलों के साथ दी जाने वाली फीस विनिर्दिष्ट की जा सके ;

(xvii) उपखंड (थ) धारा 94 का संशोधन करने के लिए है, जिससे केन्द्रीय सरकार को, कारधेय सेवाओं के निर्यात, उन कराधेय सेवाओं को छूट या उन पर संदत्त सेवा-कर का रिबेट, जो भारत से बाहर निर्यात की जाती हैं ; उपयोग की गई कराधेय सेवाओं पर संदत्त सेवा-कर या भारत के बाहर निर्यातित कराधेय सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रयुक्त माल पर संदत्त या संदत्त किए गए समझे गए शुल्कों के रिबेट का अवधारण का उपबंध करने के लिए नियम बनाने के लिए सशक्त किया जा सके।

(xviii) उपखंड (द) धारा 95 का संशोधन करने के लिए है, जिससे कि केन्द्रीय सरकार को धारा 65 के खंड (105) में सम्मिलित नई कराधेय सेवाओं के मूल्य को लागू या अवधारित करने की दशा में कठिनाइयां दूर करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा अनुमति देने की तारीख से दो वर्ष के भीतर आदेश जारी करने के लिए सशक्त किया जा सके ।

खंड 81 -- विधेयक का खंड 81 विश्वस्तरीय आधारभूत शिक्षा प्रदान करने और उसका वित्तपोषण करने की सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार के रूप में शिक्षा उपकर के उद्ग्रहण और संग्रहण से संबंधित है। धारा 2 की उपधारा (11) और अध्याय 6 के अधीन उद्गृहीत शिक्षा उपकर की धनराशि का, संसद् द्वारा इस निमित्त बनाई गई विधि द्वारा सम्यक् विनियोजन करने के पश्चात् केन्द्रीय सरकार द्वारा उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जा सकेगा।

खंड 82 -- विधेयक के खंड 82 में यह उपबंध है कि उन शब्दों और पदों के, जो अध्याय 6 में प्रयुक्त हैं, और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 या वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय 5 में परिभाषित हैं, वही अर्थ हैं, जो यथास्थिति, उन अधिनियमों या अध्याय में क्रमशः उनके हैं ।

खंड 83 -- विधेयक का खंड 83 उत्पाद-शुल्क्य माल पर उन सभी उत्पाद-शुल्कों के (जिसके अंतर्गत विशेष उत्पाद-शुल्क या कोई अन्य उत्पाद-शुल्क भी है, किंतु उत्पाद-शुल्क्य माल पर शिक्षा उपकर नहीं है), जिसे केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 के उपबंधों के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन केन्द्रीय सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) द्वारा उद्गृहीत और संगृहीत किया जाता है, योग पर दो प्रतिशत की दर से परिकलित शिक्षा उपकर के लिए उपबंध करता है ।

खंड 84 -- विधेयक का खंड 84 उन सभी सीमाशुल्कों के, जिसे सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 12 के अधीन केन्द्रीय सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) द्वारा उद्गृहीत और संगृहीत किया जाता है और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन सीमाशुल्क के अतिरिक्त और उसी रीति में ऐसे माल पर प्रभार्य किसी राशि के योग पर दो प्रतिशत की दर से परिकलित आयातित माल पर शिक्षा उपकर के लिए उपबंध करता है, किन्तु इसके अंतर्गत सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की क्रमशः धारा 8ख, धारा 8ग, धारा 9 और धारा 9क में निर्दिष्ट (क) सुरक्षा शुल्क; (ख) प्रतिशुल्क; और (ग) प्रतिपाटन शुल्क और आयातित माल पर शिक्षा उपकर नहीं है ।

खंड 85 -- विधेयक का खंड 85 ऐसे कर पर, जो वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66 के अधीन उद्गृहीत और संगृहीत किया जाता है, दो प्रतिशत की दर से परिकलित कराधेय सेवा पर शिक्षा उपकर का उपबंध करता है ।

प्रतिभूति संव्यवहार कर

खंड 86 – विधेयक का खंड 86 अध्याय के विस्तार, प्रारंभ और लागू होने से संबंधित है । अध्याय 7 (जिसमें खंड 86 से 105 हैं) में क्रेता द्वारा किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में किए गए कराधेय प्रतिभूति संव्यवहार पर उस तारीख से, जिसको यह अध्याय केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना के रूप में प्रवृत्त होता है, क्रेता द्वारा संदेय कर के उद्ग्रहण का उपबंध है ।

खंड 87 – विधेयक के खंड 87 में, अध्याय में प्रयुक्त विभिन्न शब्दों और पदों, जैसे "अपील अधिकरण", "निर्धारिती", "निर्धारण अधिकारी", "बोर्ड", "व्युत्पन्न", "सरकारी प्रतिभूति", "विकल्प करार प्रतिभूति", "विकल्प प्रीमियम", "मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेन्ज", "प्रतिभूति", "पूर्ण कीमत", "कराधेय प्रतिभूति संव्यवहार", आदि परिभाषित हैं ।

इस खंड के उपखंड (13) में कराधेय प्रतिभूति संव्यवहार इस प्रकार परिभाषित है कि उससे भारत में किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेन्ज में किए गए प्रतिभूतियों के क्रय के संव्यवहार अभिप्रेत हैं ।

खंड 88 – विधेयक का खंड 88 किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में किए गए कराधेय प्रतिभूति संव्यवहार के मूल्य के 0.15 प्रतिशत की दर से "प्रतिभूति संव्यवहार कर" नामक कर के प्रभारण का उपबंध करने के लिए है ।

अन्य परिभाषाएं स्वतः स्पष्टीकारक हैं ।

खंड 89 – विधेयक का खंड 89 कराधेय प्रतिभूति संव्यवहार के मूल्य की संगणना की रीति का उपबंध करता है । कराधेय प्रतिभूति संव्यवहार का मूल्य निम्न प्रकार से संगणित किया जाना है :–

(क) विकल्प करार प्रतिभूतियों के क्रय की दशा में, स्ट्राइक कीमत और विकल्प प्रीमियम का योग होगा, जो क्रय की गई प्रतिभूतियों में ऐसे विकल्पों की मात्रा द्वारा गुणा करके संगणित किया जाएगा ;

(ख) "वायदे के सौदे" के क्रय की दशा में वह कीमत होगी, जिस पर ऐसे वायदे के सौदे का व्यापार किया जाता है, जिसे क्रय किए गए ऐसे वायदे के सौदों की मात्रा द्वारा गुणा किया जाएगा ; और

(ग) किसी अन्य प्रतिभूतियों के क्रय की दशा में वह कीमत होगी, जिस पर ऐसी प्रतिभूतियां क्रय की जाती हैं, जिसे क्रय की गई ऐसी प्रतिभूतियों की मात्रा द्वारा गुणा किया जाएगा ।

खंड 90 – विधेयक का खंड 90 किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेन्ज द्वारा क्रेता से प्रतिभूति संव्यवहार कर के संग्रहण और वसूली के लिए उपबंध करता है । स्टाक एक्सचेन्ज द्वारा संगृहीत प्रतिभूति संव्यवहार कर की रकम का, उस मास के, जिसमें प्रतिभूति संव्यवहार कर का संग्रहण किया गया है, आगामी मास के सातवें दिन तक सरकार के खाते में संदाय किया जाना है ।

खंड 91 – विधेयक के खंड 91 का उपखंड (1) प्रतिभूति संव्यवहार कर के संग्रहण के लिए उत्तरदायी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेन्ज द्वारा विहित प्ररूप में और विहित रीति से और ऐसी विशिष्टियां उपवर्णित करते हुए, जो विहित की जाएं, उस स्टाक एक्सचेन्ज द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए कराधेय प्रतिभूति संव्यवहारों के संबंध में विवरणी फाइल किए जाने के लिए उपबंध करता है ।

उपखंड (2) निर्धारण अधिकारी को, उस व्यक्ति से, जो प्रतिभूति संव्यवहार कर के संग्रहण के लिए उत्तरदायी है और जिसने विवरणी प्रस्तुत नहीं की है, ऐसे समय के भीतर, जो सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा करते हुए, सूचना जारी करने की शक्ति प्रदान करता है ।

उपखंड (3) पहले प्रस्तुत की गई विवरणी में किसी लोप या गलत कथन का पता लगने की दशा में अनुज्ञात समय के भीतर पुनरीक्षित विवरणी प्रस्तुत करने के लिए उपबंध करता है ।

खंड 92 – विधेयक के खंड 92 में कराधेय प्रतिभूति संव्यवहारों के मूल्य के निर्धारण और ऐसे निर्धारण के आधार पर संदेय प्रतिभूति संव्यवहार कर संदेय प्रतिदाय या प्रतिदेय से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट हैं । इसमें यह भी उपबंध है कि सुसंगत वित्तीय वर्ष की समाप्ति से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् कोई निर्धारण नहीं किया जाएगा ।

खंड 93 – विधेयक के खंड 93 में उस वित्तीय वर्ष के अंत से जिसमें परिशुद्ध किया जाने वाला आदेश पारित किया गया है एक वर्ष के भीतर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश के अभिलेख से स्पष्ट त्रुटियों की परिशुद्धि के लिए उपबंध करता है । निर्धारण अधिकारी स्वप्रेरणा से या मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेन्ज की प्रेरणा पर त्रुटियों को परिशुद्ध कर सकेगा और ऐसा कोई संशोधन, जिसका निर्धारण में वृद्धि करने का या प्रतिदाय को कम करने का या मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेन्ज के दायित्व में अन्यथा वृद्धि करने का प्रभाव है, मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेन्ज को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् ही किया जाएगा ।

खंड 94 – विधेयक का खंड 94 ऐसे प्रत्येक मास या मास के भाग के लिए, जब प्रतिभूति संव्यवहार कर, खंड 90 में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर केंद्रीय सरकार के खाते में जमा नहीं किया जाता, एक प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज के संदाय के लिए उपबंध करता है ।

खंड 95 – विधेयक का खंड 95 संव्यवहार कर के संग्रहण करने के लिए उत्तरदायी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेन्ज पर शास्ति के अधिरोपण के लिए उपबंध करता है । यह शास्ति, ऐसी दशा में जहां मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेन्ज संपूर्ण प्रतिभूति संव्यवहार कर या उसके किसी भाग का संग्रहण करने में असफल रहता है, संगृहीत न किए गए प्रतिभूति संव्यवहार कर की रकम के बराबर राशि होगी । अन्य दशाओं में, इस प्रकार अधिरोपित शास्ति केंद्रीय सरकार के खाते में प्रतिभूति संव्यवहार कर का संदाय करने में असफलता के प्रत्येक दिन के लिए एक हजार रुपए होगी । तथापि, इस खंड के अधीन अधिरोपणीय शास्ति, किसी भी दशा में, उस संव्यवहार कर की रकम से, जो संदत्त किया जाना था, अधिक नहीं होगी ।

खंड 96 – विधेयक का खंड 96 खंड 91 के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने में असफलता के लिए शास्ति का उपबंध करता है । ऐसी दशाओं में शास्ति, असफलता के जारी रहने की दशा में प्रत्येक दिन के लिए एक सौ रुपए होगी ।

खंड 97 – विधेयक का खंड 97 सूचना के अनुपालन में असफलता के लिए शास्ति का उपबंध करता है । कोई व्यक्ति, जो प्रस्तावित अध्याय के खंड 92 के उपखंड (i) के अधीन जारी सूचना का पालन करने में असफल रहेगा, वह शास्ति के रूप में, प्रत्येक असफलता के लिए दस हजार रुपए का संदाय करने के लिए दायी होगा ।

खंड 98 – विधेयक का खंड 98 यह उपबंध करता है कि यदि निर्धारिती यह साबित कर देता है कि उक्त खंड के उपबंधों का अनुपालन करने में असफलता के लिए

युक्तियुक्त हेतुक था तो खंड 95, खंड 96 या खंड 97 के अधीन कोई शास्ति अधिरोपणीय नहीं होगी । यह और प्रस्ताव है कि इस अध्याय के अधीन शास्ति अधिरोपित करने वाला आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक निर्धारिती को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो ।

यह और प्रस्ताव है कि इस अध्याय के अधीन शास्ति अधिरोपित करने वाला आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक निर्धारिती को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो ।

खंड 99 – विधेयक का खंड 99 यह उपबंध करता है कि आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 120, धारा 131, धारा 133क, धारा 156, धारा 178, धारा 220 से धारा 227, धारा 229, धारा 232, धारा 260क, धारा 261, धारा 262, धारा 265 से धारा 269, धारा 278ख, धारा 282 और धारा 288 से धारा 293, जो अन्य बातों के साथ, मांग की सूचना जारी करने, कर की वसूली और संग्रहण, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय को अपील, प्राधिकृत प्रतिनिधियों की हाजिरी, आदि से संबंधित हैं, जहां तक हो सके, प्रतिभूति संव्यवहार कर के संबंध में लागू होंगी ।

खंड 100 – विधेयक का खंड 100, आय-कर आयुक्त (अपील) को, जब मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेन्ज इस अध्याय के अधीन निर्धारित किए जाने वाले अपने दायित्व से इन्कार करता है या खंड 92 या खंड 93 के अधीन किसी निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश के विरुद्ध अपील के लिए उपबंध करता है । इस खंड में अपील, आदि फाइल करने के लिए समय, सीमा से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट हैं और यह उपबंध है कि आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 249 से धारा 251 के उपबंध, यथाशक्य आवश्यक उपांतरणों सहित ऐसे मामलों में लागू होंगे ।

खंड 101 – विधेयक का खंड 101 खंड 100 के अधीन आय-कर आयुक्त (अपील) द्वारा पारित किसी आदेश के विरुद्ध अपील अधिकरण को अपील के लिए उपबंध करता है । इस खंड में अधिकरण के समक्ष अपील फाइल करने के लिए समय-सीमा और प्रक्रिया से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट हैं । इस खंड में यह भी उपबंध है कि जहां इस खंड के अधीन कोई अपील फाइल की गई है, वहां आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 252 से धारा 255 के उपबंध आवश्यक उपांतरण सहित लागू होंगे ।

खंड 102 – विधेयक का खंड 102 किसी सत्यापन में कोई ऐसा कथन, लेखा या कथन, जो मिथ्या है, दिए जाने के लिए कारावास के रूप में तीन वर्ष तक की अवधि तक के जुर्माने सहित कारावास के रूप में दंड के लिए उपबंध करता है । यह खंड यह भी उपबंध करता है कि इस खंड के अधीन दंडनीय अपराध, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अर्थान्तर्गत असंज्ञेय समझा जाएगा ।

खंड 103 – विधेयक का खंड 103 यह उपबंध करता है कि खंड 102 के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजन, मुख्य आय-कर आयुक्त की पूर्व मंजूरी के बिना आरंभ नहीं किया जाएगा ।

खंड 104 – विधेयक का खंड 104 इस अध्याय के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनों के लिए केंद्रीय सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है । यह खंड यह भी उपबंध करता है कि इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और जारी की गई अधिसूचना संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी ।

खंड 105 – विधेयक का खंड 105 इस अध्याय के उपबंधों को प्रभावी करने में उत्पन्न किसी कठिनाई को दूर करने के लिए केंद्रीय सरकार को आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है । यह शक्ति केंद्रीय सरकार को उस तारीख से, जिसको इस अध्याय के उपबंध प्रवृत्त होते हैं, दो वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध रहेगी । इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

प्रकीर्ण

खंड 106 – विधेयक का खंड 106 सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त अधिनियम में सरकारी बचत बैंकों से संबंधित कतिपय उपबंध अंतर्विष्ट हैं । यह प्रस्ताव है कि कतिपय बैंककारी कंपनियों, अन्य कंपनियों या संस्थाओं को, जिन्हें केन्द्रीय सरकार, डाकघरों के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार की कतिपय स्कीमों के अधीन निक्षेपों को स्वीकार करने के लिए, इस निमित्त राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, समर्थ बनाया जाए ।

यह प्रस्ताव है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 को संशोधित किया जाए जिससे "सरकारी बचत बैंक" पद को परिभाषित किया जा सके जिससे ऐसी कोई डाकघर बचत बैंक और बैंककारी कंपनियां और या कोई अन्य कंपनी या संस्था अभिप्रेत हैं, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन अधिसूचित की जाएं । यह भी प्रस्ताव है कि "सचिव" पद को पुनः परिभाषित किया जाए ।

यह संशोधन उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है ।

खंड 107 – विधेयक का खंड 107 भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 का संशोधन करने के लिए है, जिससे कि "स्टांप" की परिभाषा का उपबंध किया जा सके और पालिसियों तथा बीमा की बाबत शुल्कों के प्रशमन और समेकन का और उस सीमा रेखा का उपबंध किया जा सके, जिसके ऊपर स्टांप शुल्क 500 रुपए से 5,000 रुपए की रसीद पर प्रभारित किया जाना है।

खंड 108 – विधेयक का खंड 108 केन्द्रीय विक्रय-कर अधिनियम, 1956 की धारा 8 का संशोधन करन के लिए है, जिससे कि केन्द्रीय विक्रय कर के संदाय से छूट का फायदा विशेष आर्थिक जोन में व्यष्टिक यूनिटों को, ऐसी यूनिटों की स्थापना करने, प्रचालन और अनुरक्षण के लिए और विकास कर्ताओं को भी, जो ऐसे विशेष आर्थिक जोन का विकास, प्रचालन और अनुरक्षण करते हैं, विस्तारित किया जा सके ।

खंड 109 – विधेयक का खंड 109 केन्द्रीय विक्रय-कर (संशोधन) अधिनियम, 2001 की धारा 3 द्वारा अंतः स्थापित किए जाने के लिए यथानिर्देशित केन्द्रीय विक्रय-कर अधिनियम के अध्याय 6 का संशोधन करने के लिए है, जिससे कि प्राधिकरण की अधिकारिता को केवल उक्त धारा की धारा 9 के साथ पठित धारा 6क के अन्तर्गत आने वाले अन्तरराज्यिक विवाद के निपटारे तक निर्बंधित किया जा सके । संशोधन अपील में रोक, आदि की मंजूरी के संबंध में प्राधिकरण को शक्ति भी प्रदत्त करता है ।

खंड 110 – विधेयक का खंड 110 राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2003 की धारा 4 का संशोधन करने के लिए है, जो राजवित्तीय प्रबंध के सिद्धांतों से संबंधित है ।

उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) में यह उपबंध है कि केंद्रीय सरकार, राजवित्तीय घाटे और राजस्व घाटे को कम करने के लिए समुचित उपाय करेगी, जिससे 31 मार्च, 2008 तक राजस्व घाटे को समाप्त किया जा सके और उसके पश्चात् पर्याप्त राजस्व अधिशेष का निर्माण किया जा सके । उपधारा (2), अन्य बातों के साथ, यह उपबंध करती है कि केंद्रीय सरकार, उसके द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा, इस अधिनियम के प्रारंभ से आरंभ होने वाली और 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान राजवित्तीय घाटे और राजस्व घाटे को कम करने के लिए वार्षिक लक्ष्य विनिर्दिष्ट करेगी ।

यह प्रस्ताव है कि उक्त धारा का संशोधन किया जाए जिससे यथापूर्वोक्त विद्यमान कालावधि को 31 मार्च, 2009 तक बढ़ाया जा सके ।

खंड 111 – विधेयक का खंड 111 वित्त अधिनियम, 2004 को निरसित करने के लिए है ।